

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 नवम्बर 2014—कार्तिक 23, शक 1936

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2014

फा. क्र. 01-2015-वि.निर्वा.-3-705.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 23-2014-ई.आर.एस., दिनांक 14 नवम्बर 2014 अंग्रेजी एवं हिन्दी में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर 2014—23 कार्तिक, 1936 शक

अधिसूचना

सं. 23-2014-ई.आर.एस.—यतः, आयोग ने 9 सितम्बर, 2014 के अपने पत्र सं. 23-2014-ई.आर.एस. द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 1 जनवरी, 2015 को कार्यक्रम की घोषणा की थी; और

यतः, दावों एवं आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि मूलतः 15 अक्टूबर, 2014 से 10 नवम्बर, 2014 तक नियत की गई थी; और

यतः, उपर्युक्त राज्य में 15 अक्टूबर 2014 को प्रारूप नामावलियां प्रकाशित कर दी गई थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न कारणों जैसे पूर्वोक्त अवधि के अन्दर आने वाले बहुत से त्योहारों के कारण दावों तथा आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया है और आयोग ने भी इस संबंध में प्रगति की समीक्षा करते हुए यह पाया है कि पर्याप्त संख्या में आवेदन/फार्म प्राप्त नहीं हुए हैं; और

यतः, आयोग ने इस मामले पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया है कि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की अवधि को 1 दिसम्बर 2014 तक आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए;

अतः, अब, निर्वाचन आयोग, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जनवरी 2015 को अर्हक तिथि मानते हुए चल रही निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि को 1 दिसम्बर 2014 (सोमवार) तक आगे बढ़ाता है.

आदेश से,
हस्ता./-
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 14th November, 2014—23 Kartika, 1936 Saka

NOTIFICATION

No. 23-2014-ERS.—WHEREAS, the Commission had announced the schedule for special Summary Revision of electoral rolls with reference to 1st January 2015 as the qualifying date in the State of Madhya Pradesh vide its letter No. 23/2014-ERS, dated 9th Spetember, 2014; and

WHEREAS, the period of filing claims and objections was originally fixed from 15th October, 2014 to 10th November, 2014; and

WHEREAS, the draft rolls were published on 15th October, 2014 in the aforesaid State; and

WHEREAS, Chief Electoral Officer has requested for extension of the period of filing claims and objections citing reasons, like a number of festivals falling in between the aforesaid period, and the Commission having reviewed the progress has found that adequate number of application /Forms have not been received; and

WHEREAS, the Commission has considered the matter and has decided that the period of filing claims and objections should be extended upto 1st December, 2014;

NOW, THEREFORE, the Commission in exercise of the power conferred by proviso to Rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960, extends, for all Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh the period for filing claims and objections upto 1st December, 2014 (Monday) for on going Special Summary Revision of electoral rolls with reference to 1st January 2015 as the qualifying date.

By order,
Sd./-
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Secretary,
Election Commission of India.